न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 02/2018

श्री कमरूदीन पुत्र श्री गनी मौहम्मद निवासी टाटॅगढ जिला– अजमेर (राज0)

.....**अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, अजमेर। .....**रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः– 1. श्री जिनेश सिंह सोनी — अभिभाषक अपीलान्ट
2. नीरज जैन — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 04.012..2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की खाद्य विभागीय रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा विभागीय प्रकरण सं0 466/16 दर्ज कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलान्ट द्वारा लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि "पीओएस मशीन द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन गलत नियति व जानबुझ कर नहीं किया है। और अगर मेरे द्वारा गलती से या अनजाने में ट्रान्जेक्शन हो गया तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती कभी नहीं करूगां।" इस पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट डीलर द्वारा एफपीएस कोड नं0 2147 द्वारा आधार कार्ड नं0 882642020237 का दुरूपयोग कर अलग–अलग उपभेक्ताओं के कुल 34 राशन कार्डो के साथ सीडिंग करके 180 किलोग्राम गैहूँ एवं 104 लीटर अनुदानित केरोसीन का गलत तरीके से अवैधानिक ट्राजेंक्शन किया जाना पाया गया। एक आधार कार्ड की आई डी का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के राश्नकार्डो पर ट्रांन्जेक्शन करना पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध होने से विभागीय प्रकरण में दिनांक 09.02.2017 को आदेश पारित कर अपीलान्ट का एफपीएस कोड नं0 2147 तहसील टॉटगढ का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। तत्पश्चात विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 10.08.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट के इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्यतः निवेदन किया कि अपीलान्ट पिछले 24 वर्षो से उचित मूल्य दुकान का संचालन ईमानदारी से कर रहा है इस अवधि में अपीलान्ट के विरूद्ध एक भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई। अपीलान्ट के राज्य सरकार के खाद्य विभाग द्वारा रसद सामग्री के वितरण हेतु पीओएस मशीन का वितरण किया गया, किन्तु इस बाबत कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। पीओएस मशीन में उपभोक्ताओं के अंगूठे निशान नहीं आने पर क्या कार्यवाही की जानी है इस बाबत कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिये गये। जानकारी किये जाने पर प्रवर्तन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा केवल यही निर्देश दिये गये कि किसी उपभोक्ता की रसद सामग्री नहीं मिलने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसी बात को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट द्वारा रसद सामग्री का वितरण किया गया। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान अनुज्ञा पत्र के निलम्बन कार्यवाही के विरूद्ध एक रिट पिटिशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि 90 दिन पश्चात अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा–पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2017 से आक्षेपित निलम्बन को निरस्त कर अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना हेतु अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 21.8.2017 से निवेदन किया गया। इसके बाद अप्रेल 2018 में रेस्पोडेन्ट का दिनांक 10.8.2017 का पत्र मिला जिसमें अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा–पत्र निरस्त किये जाने का उल्लेख था। अपीलान्ट से उपभोक्ताओं को कोई शिकायत नहीं है एवं ना ही अपीलान्ट द्वारा किसी अनाधिकृत व्यक्ति को राशन सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने दुकान के उपभोक्ताओं को समय पर रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार से प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा बिना किसी पुख्ता आधार के जल्दबाजी में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 10.08.2017 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की खाद्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा विभागीय प्रकरण सं0 466/16 दर्ज कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलान्ट द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया कि पीओएस मशीन द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रांन्जेक्शन गलत नियति व जानबुझ कर नहीं किया। मेरे द्वारा गलती से या अनजाने में ट्रांन्जेक्शन हो गये इसके लिए मै क्षमा चाहता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी। इस पर क्षैत्रीय प्रवर्तन

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई जिसके अनुसार अपीलान्ट डीलर एफपीएस कोड नं0 2147 द्वारा आधार कार्ड नं0 882642020237 का दुरूपयोग कर अलग–अलग उपभेक्ताओं के कुल 34 राशन कार्डो के साथ सीडिंग करके 180 किलोग्राम गैहूँ, 104 लीटर अनुदानित केरोसीन को गलत तरीके से अवैधानिक ट्राजेंक्शन किया गया। एक आधार कार्ड की आई डी का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के राश्नकार्डो पर कर ट्रांन्जेक्शन करना पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध है। लिहाजा विभागीय प्रकरण में कार्यालय आदेश कमांक 42 दिनांक 09.02.2017 के द्वारा अपीलान्ट को जारी एफपीएस कोड नं0 2147 तहसील टॉटगढ का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट का कृत्य विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन के तहत पाया जाने पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 10.08.2017 द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार की गई। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप तथा अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की विभागीय रिपोर्ट तथा क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से बाद जाचं प्राप्त रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने एवं विभागीय आदेशो एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाया जाने पर ही जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलान्ट (डीलर) का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2017 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner